(1) मैनुअल की तैयारीः–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के क्लाज 4 (1) (बी) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा निम्नानुसार 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किया गया है:–

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्यः–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 6 (1) केअनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर का गठन नवम्बर,2002 में किया गया है ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा (1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिक्करण द्वारा निर्धारित नीति एवंनिर्देशों को प्रभावशील करने के लिये दायित्व का निर्वाहन करती है एवं धारा 2 के अनुसार–

अ– अधिनियम में दी गई पात्रतानुसार पात्र व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान करती है ।
ब– लोक अदालत, उच्च न्यायालय के प्रकरणों सहित का संचालन करती है ।
स– प्रतिरोधात्मक विधिक सहायता कार्यक्रम चलाती है ।
द– राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श उपरातं विनियम द्वारा राज्य प्राधिकरण अन्य कार्य भी योजना के संबंध में करती है ।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॅा एवं कर्तव्य :–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, में कार्यालय प्रमुख के रूप में सदस्य सचिव जो उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है,और जिसकी नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श अनुसार शासन द्वारा की जाती है, पदस्थ होता है और जिसे ही प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वाहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनके सामान्य नियंत्रण में किया जाता है । प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती है । संस्था सदस्य सचिव की सचिवीय सहायता के लिये अन्य अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है ।

3. निर्णय लेने की प्रकियाः–

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम–2003 के नियम–3 बी के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक प्रमुख संरक्षक या कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है और प्राधिकरण के बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं । र्प्यवेक्षण एवं जवाबदेही का कोई चैनल नहीं है ।

4. कार्यसंपादन के तरीके :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम1987 की धारा 8 (ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा–9 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा 11 (ए) के अंतर्गत गठित तालुक विधिक सेवा समिति के सहयोग तथा धारा 8 के अंतर्गत अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय समाजिक संगठनों के सहयोग एवं समन्वय योजनाओं का कियान्वयन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ।

5. कार्य सम्पादित करने नियम–

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम–2002 एवं विनियम–2003 तथा राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश का संग्रह अभिलेख रखती है जो उसके सामान्य नियंत्रण में है और कर्मचारियों द्वारा इन्हीं का उपयोग कर कर्तव्यों का निर्वहन आदि कार्य सम्पादन किया जाता है ।

6. अभिलेख का वर्गीकरण–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी एवं शासन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान राशि आय व्यय का विवरण प्त्रक अभिलेख के रूप में संधारित किया जाता है ।

7. परामर्श की व्यवस्था–

नीति निर्धारण एवं प्रशासन के संबध में सामान्य जन के लिये किसी भी प्रकार के परामर्श या आभ्यावेदन की व्यवस्था नहीं है । राज्य प्राधिकरण में शासन द्वारा मनोनित सदस्य रखे जाते हैं जो कि प्राधिकरण की बैठक में नीतिगत निर्णय में भाग लेते हैं।

8. बोर्ड परिषद एवं समितियों का विवरण–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8 (ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा–9 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा–11 (ए) के अंतर्गत गठित तालुक विधिक सेवा समिति का गठन किया गयाहै । जो कि राज्य प्राधिकरण के ही हिस्से हैं । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा पारिवारिक विवाद सामाधान केन्द्र, जिला विधिक परामर्श केन्द्र , कारागार परिसर में कारागार परामर्श का गठन छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत शासन द्वारा गठित 11 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किया गया है जिनकी बैठक की कार्यवृति का अवलोकन किया जा सकता है ।

9. अधिकारियो/कर्मचारियों की डायरेक्टरी–

मैनुअल के साथ संलग्न परिशिष्ट–ए अनुसार ।

10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विनियम में किसी भी प्रकार की छतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है । उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण परिशिष्ट–बी अनुसार है ।

11. बजट का प्रावधान–

योजना का विवरण अनुमानित व्यय के संबंध में प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट–सी अनुसार है ।

12. अनुदान कार्यक्रम के कियान्वयन की विधि–

विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन गैर शासकीय संगठनों के द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है ।

13. छूट, आज्ञप्ति तथा अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है ।

14. इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना–

राज्य प्राधिकरण बिलासपुर में योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी इलेक्ट्रनिक फार्म में कम्प्यूटर पर उपलब्ध है ।

15. जनउपयोग हेतु कार्यालयीन समय में कोई लाइब्रेरी या अध्ययन कक्ष की व्यवस्था नही है सूचना प्राप्त करने के लिये कोई भी व्यक्ति कार्यालयीन समय मे सहायक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है ।

16. सूचना अधिकारी का नाम एवं पद का विवरणः–

राज्य प्राधिकरण में पदस्थ अवर सचिव/उपसचिव को सूचना अधिकारी एवं जिला विधिक सहायता को सहायक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किया गया है ।

17. ऐसी अन्य जानकारी जो विहित की जावे –

कोई अन्य जानकारी विहित नहीं की गई है ।

(गौतम चौरड़िया)
सदस्य सचिव
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर